मासूम चचेरी बहन से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले मनोज को फांसी की सजा

ग्वालियर। नईदुनिया प्रतिनिधि

अपर सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा ने बुधवार को आठ साल की मासूम चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी मनोज प्रजापति को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक कि उसकी सांसें बंद न हो जाएं।

आरोपी मनोज प्रजापति।

अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि

22 महीने में ट्रायल खत्म कर कोर्ट ने सुनाया फैसला

इस आदेश का पालन हाईकोर्ट से सजा की पुष्टि होने के बाद किया जाए और रिकार्ड को हाईकोर्ट भेजा जाए। 22 महीने में कोर्ट ने मामले की ट्रायल खत्म कर अपना फैसला सुनाया है और इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आरोपी ने घटना को नयागांव में अंजाम दिया था।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि 'वर्तमान में जिस प्रकार मासूम बच्चियों के साथ निर्दयता पूर्वक बलात्संग कर उनकी निर्मम हत्याओं के अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। अन्यथा समाज के अंदर ऐसे मामले और होने लगेंगे। इसलिए आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। समाज न्यायालय से यही अपेक्षा करता है कि जघन्य और घृतिण अपराधों में अधिकतम दंड दिया जाए'। कोर्ट ने कहा कि मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपराधी आगे चलकर पुन: इस तरह के अपराध में लिप्त नहीं होगा। पुनर्स्थापित होकर एक स्वच्छ जीवन जी सकेगा। पुलिस की ओर से पैरवी डीपीओ अब्दुल नसीम और अतिरिक्त डीपीओ मनोज कुमार जैन ने की। (पेज 3 भी पढ़ें)